

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2014

संख्या 1/एल01-10-07/2012 गृ0आ0 / सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010) समादेष्टा, महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.07.2014 से 10.08.2014 तक कुल 30 (तीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. सुश्री सावलाराम के उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, सासाराम अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एल01-10-07/2012 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

जुलाई, 2014

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (वेबसाईट : www.home.bih.nic.in) ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एल01-10-07/2012 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

जुलाई, 2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एल01-10-07/2012 गृ0आ0 5747 /पटना, दिनांक 10 - जुलाई, 2014

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010) समादेष्टा, महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम/पुलिस अधीक्षक, सासाराम/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (वेबसाईट: www.home.bih.nic.in) पर दर्शाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव 10/7/14